

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपकरण)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Electricity Transmission Division- Ghazipur.
220 KV S/S Talwal Hydle Colony Ghazipur
Pin 233002

E-mail- eeetd2var@upptcl.org
Mob. 9415311047

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रैषण खण्ड गाजीपुर
220 के०वी० विद्युत उपकरण तलवल हाइडिल
कालोनी गाजीपुर
पि० 233002

पत्रांक २३०५ विप्र०खं०-गा०)/

दिनांक ०५/१२/२०२२

विषय : उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, वाराणसी द्वारा 400 के० वी० अनपरा - वाराणसी डबल सर्किट विधुत पारेषण लाइन के निर्माण में प्रभावित रेनुकूट वन, प्रभाग में 98.28 हे० आरक्षित वन भूमि, ओबरा वन प्रभाग में 113.048 हे० आरक्षित वन भूमि, सोनभद्र वन प्रभाग में 15.79 हे० आरक्षित वन भूमि, मिर्जापुर वन प्रभाग में 37.51 हे० आरक्षित वन भूमि एवम् कैमर वन्यजीव प्रभाग में 54.652 हे० आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल प्रभावित 319.28 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनुकूट

संदर्भ:- कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवम् जलवायु विभाग, उ० प्र०, लखनऊ। पत्रांक 962/11-सी-FP/UP/Trans/32650/2018, लखनऊ दिनांक 12.2022, कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र-(उ०प्र०) पत्रांक 976/रेनुकूट/15-7 दिनांक सितम्बर 16.2022, एवं पत्रांक 1692/रेनुकूट/15-7 दिनांक 23.11.2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विन्दुवार मागी गयी सूचना का विवरण निम्नवत है।

| | आपत्ति | निराकरण |
|---|---|--|
| 1 | प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगुने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने से सम्बन्धित अभिलेख यथा: Geo Referenced Digital Map ,Sol Toposheet, 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राकलन उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं के० एम० एल० फाइल सलग्र नहीं किया गया है। अतः सलग्र कर आनलाइन भाग -2 में यथास्थान पर अपलोड करे। | बिंदु संख्या 1 एवम् 2 जो कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित है के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त लाइन के निर्माण के बाद से वर्तमान तक कोई नया निर्माण कार्य नहीं किया गया और न ही किया जाना है। जिस कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण की देयता नहीं बनती है। |
| 2 | पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बोने मुख्यतः ओषधीय पोथों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राकलन सलग्र नहीं किया गया है। अतः सलग्र कर आन लाइन भाग -2 में अपलोड करे | |
| 3 | प्रस्ताव में संलग्न लागत लाभ विश्लेषण में एन० पी०वी० की दर पूर्व की दरी के अनुसार है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार संशोधित एन० पी०वी० की दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न करे तथा आनलाइन भाग -2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण को डिलीट कर संशोधित अपलोड करे। | महोदय स्तर से होना है |

✓

| | | |
|---|---|--|
| 4 | प्रस्ताव में दंडात्मक एन० पी०वी० की गणना संलग्न है किन्तु दंडात्मक एन० पी०वी० गणनामें दर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.22 के अनुसार नहीं है। अतः संशोधित एन० पी०वी० की दर के अनुसार दंडात्मक एन० पी०वी० की गणना संलग्न करे तथा पुरानी गणना आनलाइन भाग -2 के addition Information Detail से डिलिट कर अपलोड करे। | बिंदु सं० 4.5 एवम् 6 के क्रम में 400 के० वी०अनपरा -वाराणसी डबल सर्किट विधुत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 319.28 हे० वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या 8 बी -197/91-एफ०सी दिनांक 01.11.1993 द्वारा गैर वानिकी कार्य हेतु उल्प्र० राज्य विधुत परिषद (वर्तमान में उल्प्र०पा० ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को हस्तांतरित किया गया था। जिसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई है, एवम् इसके क्रम में उप सचिव उल्प्र०शासन के आदेश सं०जी आई०/444/14-2-93-707/89 दिनांक 08/23 फरवरी 1994 द्वारा उक्त विधुत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 319.28 हे० वन भूमि 20 वर्षों हेतु उल्प्र०राज्य विधुत परिषद (वर्तमान में उल्प्र०पा० ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को हस्तांतरित किया गया था। सयुक्त सचिव उ० प्र० शासन के आदेश पत्र के बिंदु संख्या 03में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है। “उक्त भूमि उल्प्र०राज्य विधुत परिषद (वर्तमान में उल्प्र०पा० ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) के उपयोग में पृष्ठा अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी जब तक कि उल्प्र०राज्य विधुत परिषद (वर्तमान में उल्प्र०पा० ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी”। लीज अवधि 2014 को समाप्त हो गया था। लीज समाप्त होने के पूर्व ही अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक 320 विंप्र०ख०॥(व) दिनांक 14.03.2014 के द्वारा सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग में प्रेषित किया गया। लीज नवीनीकरण प्रक्रिया जटिल होने के कारण तथा कोई स्पष्ट गाइड लाइन संज्ञानित न होने के कारण प्रक्रिया में समय लग रहा है। भारत सरकार की उल्घन से सम्बन्धित गाइड लाइन दिनांक 29.01.2018, नए वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति से सम्बन्धित है न की पूर्व में दिए गए अनुमति से। |
| 5 | प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्ड कॉपी भाग -2 (हिंदी वर्जन) के क्रमांक -6 तथा ऑनलाइन भाग -2 के क्रमांक -12 में उल्घन न किये जाने का उल्लेख है, जो कि ओचित्य पूर्ण नहीं है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकॉपी भाग -2 तथा ऑनलाइन भाग -2 में उल्घन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करे तथा ऑनलाइन भाग -2 से पूर्व का त्रुटिपूण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकॉपी भाग -2 डिलीट कर अपलोड करे। | अतः उक्त परियोजना में नयी वन भूमि का उपयोग नहीं किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति में कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है। अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से लीज समाप्त से पूर्व ही प्रस्ताव तैयार कर |
| 6 | दंडात्मक एन० पी० वी०ज्मा किये जाने की वचन बद्यता प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं की गई है। | पत्रांक 320 विंप्र०ख०॥(व) दिनांक 14.03.2014 के द्वारा सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग में प्रेषित किया गया तथा लीज समाप्त होने के पश्चात भी लीज रेंट का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल रेट से किया जा रहा है। अतः उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किया जाना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्घन न माना जाये। तथा दंडात्मक एन० पी०वी० न लगाया जाये। |

अतः आप से अनुरोध है कि लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में दर्शाई गई कमियों / आपत्तियों (महोदय स्तर से होना है) को दूर कर उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र को प्रेषित करने का कष्ट करे, जिससे लीज नवीनीकरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।


(एस०क०सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक.

विंप्र०ख०-(गा०)

दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता, (पा०द०प०), 57-जार्ज टाउन प्रयागराज।
2. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता विंप्र०म० द्वितीय, वाराणसी।


(एस०क०सिंह)
अधिशासी अभियन्ता